न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 216/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी:

1. अनाराम पुत्र डालूराम
2. खरथाराम पुत्र डालूराम
3. ठाकराराम पुत्र डालूराम
4. मुकनाराम पुत्र डालूराम
5. लाधाराम पुत्र डालूराम
   जातियान जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी

विप्रार्थीगण:

1. दीपाराम पुत्र भगाराम
2. अमराराम पुत्र भूराराम
3. उमेदी पत्नि हुकमाराम
4. नथाराम पुत्र हुकमाराम
5. पुराराम पुत्र हुकमाराम
6. मांगाराम पुत्र पूनमाराम
7. अमराराम पुत्र उमाराम
8. चुनीदेवी पत्नि मेघाराम
9. पूरोदेवी पत्नि मेघाराम
10. बुधाराम चौधरी पुत्र मेधाराम जातियान जाट निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी
11. भैराराम पुत्र चेनाराम जाति नाई निवासी धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी
12. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी
13. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा बैंक शाखा सिणधरी
14. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते—विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति—

1. प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:20 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.01.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण [illegible] खेत मौजा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कमठाई के राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी में [illegible]रा संख्या 228 रकबा 14[illegible] 5216 हैक्टर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कमठाई के राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

संख्या 228 रकबा 14.5216 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण का खेत मौजा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कमठाई के राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 228 रकबा 14.5216 हैक्टर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कमठाई के राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 228 रकबा 14.5216 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण स्वंय की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कमठाई के राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 228 रकबा 14.5216 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का कमठाई के राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी में खसरा संख्या 228 रकबा 14.5216 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए [illegible] सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थी[illegible] को [illegible] में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख [illegible] फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.01.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.17 15:34:20 IST
Reason: SelfAttested